करुमुथु थियागराजन चेट्टियार और एक अन्य

बनाम

ई.एम. मुस्तप्पा चेट्टियार

(न्यायाधिपति पी.बी. गजेन्द्रगढकर और के.एन. वांचू)

जब किसी साझेदारी के लिए अविध स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है, कब निहित किया जा सकता है, सूचना द्वारा साझेदारी की समाप्ति साझेदारी अधिनियम 1932 (1932 का 1x) एस एस 7, 10, 13

अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने एक लिखित समझौता किया कि प्रबंध एजेंसी व्यवसाय के संबंध में साझेदारी दो मिलें, जिनकी शर्तें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी थीं कि प्रबंधन चार वर्षों में से एक बार बारी बारी से किया जाएगा, अपीलकर्ता को पहले चार वर्षों के लिए प्रबंधन करना होगा, इसके बाद प्रतिवादी को अगले चार वर्षों तक प्रबंधन करना होगा और उसके बाद भी इसी तरह इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि साझेदार और उनके उत्तराधिकारी तथा जो अपना अधिकार प्राप्त कर रहे हैं वे प्रबंधन जारी रखेंगे, कुछ ही समय बाद साझेदारों के बीच विवाद शुरू हो गया और अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को समझौता समाप्त करने का नोटिस दिया, साझेदार इसे इच्छानुसार के रूप में साझेदारी मानते है, और मिलों के निदेशकों ने अपनी बारी में इसे समाप्त कर दिया। प्रबंध एजेंसी इस आधार

पर कि दोनों के बीच झगड़े हैं, साझेदार अच्छे प्रबंधन के लिए हानिकारक थै। इसके बाद प्रतिवादी ने इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया। साझेदारी के विघटन के लिए अपीलकर्ता और मिलें फर्म और क्षिति का आरोप है कि विघटन नोटिस द्वारा अपीलकर्ता द्वारा साझेदारी धोखाधड़ीपूर्ण थी और मिलों द्वारा मिलीभगत की गई। ट्रायल कोर्ट ने माना कि साझेदारी वसीयत में थी और प्रबंधन की समाप्ति एजेंसी कानूनी और अस्वीकृत क्षिति थी। प्रतिवादी की अपील पर उच्च न्यायालय ने यह अभिनिधीरित किया कि साझेदारी अपनी इच्छाुनसार साझेदारी नहीं थी और अपीलार्थी द्वारा नोटिस द्वारा साझेदारी भंग नहीं की जा सकती, अपीलकर्ता द्वारा प्रबंधन एजेंसी की समाप्ति को भी अवैध माना गया। अपीलकर्ता द्वारा अपील उच्च न्यायालय के प्रमाणपत्र के साथ मान ली गई।

प्रबंधन इस प्रावधान पर विचार कर रहा है कि चार वार्षिक अविध के साझेदारों के बीच प्रबंधन बारी बारी से किया जाएगा और साझेदारों के उत्तराधिकारी भी ऐसे ही कारोबार को बारी-बारी से जारी रखने का इरादा रखेगें हालाँकि, स्पष्ट रूप से कुछ अविध की साझेदारी होनी चाहिए समझौते में अविध स्पष्ट रूप से तय नहीं की गई थी। साझेदारी की अविध के लिए स्पष्ट रूप प्रावधानित की गई है लेकिन अनुबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, अदालतों ने माना है कि भागीदारी इच्छानुसार नहीं होगी जब तक कि अविध स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं है।

ग्रौशाय बनाम मैनले, स्वांस 495; 36 ईआर 479, का अनुसरण किया गया।

इस मामले में अनुबंध ने एक साझेदारी का खुलासा किया जिसमें अंतर्निहित था, की समाप्ति प्रबंध एजेंसी और इसलिए धारा 7 के तहत साझेदारी अधिनियम यह इच्छानुसार साझेदारी नहीं थी और अपीलकर्ता द्वारा दिए गए नोटिस द्वारा कानूनी रूप से समाप्त किया जा सकता है।

साझेदारों के बीच तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मिल को समाप्त करने के लिए पर्याप्त कारण थे प्रबंध एजेंसी और निदेशक मंडल का प्रस्ताव द्वारा पुष्टि की गई प्रबंध एजेंसी समझौते को समाप्त करना शेयरधारकों की आम बैठक ने इसे समाप्त कर दिया प्रबंध एजेंसी. न तो कोई धोखाधड़ी हुई और न ही मिलीभगत अपीलकर्ता के साथ मिलों द्वारा।

मोरारजी गोकुलदास एंड कंपनी बनाम शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड और अन्य, एआईआर 1944 पीसी 17 और आयुक्त अंतर्देशीय राजस्व बनाम संसोम, [1921] केबी 492, में उल्लेख किया गया है।

वर्तमान मामले में साझेदारी मानी जानी चाहिए, निदेशक मंडल प्रबंध एजेंसी को समाप्त करने वाले निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित होने की तिथि को निर्धारित किया जाता है। साझेदारी अधिनियम की धारा 10 और 13(एफ) लागू नहीं होती। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 375 /1956

1949 की ए एस संख्या 623 में मद्रास उच्च न्यायालय के 27 जुलाई, 1953 के फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील। अपीलकर्ताओं के लिए एवी विश्वनाथ शास्त्री और एस वेंकट कृष्णन।

भारत के अटॉर्नी-जनरल एमसी सीतलवाड, प्रतिवादी की ओर से आर. गणपति अय्यर और जी. गोपालकृष्णन।

1961. 27 फरवरी न्यायालय का फैसला वांचू, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया था।

यह मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र पर एक अपील है। वर्तमान उद्देश्यों के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं: वर्तमान मुकदमा मुथप्पा चेट्टियार (इसके बाद प्रतिवादी के रूप में संदर्भित) द्वारा के. त्यागराजन चेट्टियार (इसके बाद अपीलकर्ता कहा जाता है) और सरोजा मिल्स लिमिटेड के खिलाफ लाया गया था। 1939 में इन दो व्यक्तियों ने इस पर विचार किया था। कुछ मिलों की प्रबंधन एजेंसियों को सुरक्षित करके संयुक्त रूप से व्यापार करना। उस संबंध में उन्होंने दो मिलों, अर्थात् राजेंद्र मिल्स लिमिटेड, सेलम और सरोजा मिल्स लिमिटेड, कोयंबटूर (इसके बाद मिल्स कहा जाएगा) के साथ बातचीत की। मिलों की

प्रबंध एजेंसी कॉटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास थी। 4 अक्टूबर, 1939 को, उक्त निगम ने म्थप्पा एंड कंपनी के नाम से अपने अधिकार अपीलकर्ता और प्रतिवादी को हस्तांतरित कर दिए। 15 नवंबर, 1939 को, शेयरधारकों की एक असाधारण आम बैठक में मिल्स ने म्थप्पा एंड कंपनी को स्वीकार कर लिया। प्रबंध एजेंटों और एसोसिएशन के लेखों में आवश्यक परिवर्तन किए। बाद में अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने राजेंद्र मिल्स लिमिटेड, सेलम की प्रबंध एजेंसी प्राप्त कर ली। इस मिल के प्रबंध एजेंट सलेम बाला स्ब्रमण्यम एंड कंपनी लिमिटेड थे। मुथप्पा एंड कंपनी ने सलेम बालास्ब्रमण्यम एंड कंपनी के सभी शेयर खरीदे और उसके बाद सलेम बालास्ब्रमण्यम एंड कंपनी के नाम पर इस मिल की प्रबंध एजेंसी का व्यवसाय चलाया। लिमिटेड नवंबर 1940 में अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने एक लिखित साझेदारी समझौते में प्रवेश किया दो मिलों का प्रबंध एजेंसी व्यवसाय। हम बाद में इस समझौते की शर्तों पर विचार करेंगे और इस स्तर पर हमें बस इतना कहना है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी के लिए दो मिलों के वास्तविक प्रबंधन की देखभाल करने की बारी तय की गई थी और अपीलकर्ता की बारी पहली थी और इसलिए वह इसमें शामिल ह्आ। दो मिलों का वास्तविक नियंत्रण। हालाँकि, इसके तुरंत बाद राजेंद्र मिल्स लिमिटेड की प्रबंध एजेंसी के संबंध में अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाद पैदा हो गए, जिसके परिणामस्वरूप भागीदारों के बीच विभिन्न मुकदमे दायर किए गए, जिनका उल्लेख हम बाद में करेंगे। अंततः 4 मार्च

1943 को अपीलकर्ता ने इसे अपनी इच्छानुसार साझेदारी मानते हुए प्रतिवादी को साझेदारी समाप्त करने का नोटिस दे दिया। इसके बाद मिल्स के निदेशकों ने म्थप्पा एंड कंपनी की प्रबंध एजेंसी को इस आधार पर समाप्त कर दिया कि कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया है और इस आधार पर भी कि फर्म के भागीदारों के बीच झगड़े मिल्स के अच्छे प्रबंधन के लिए अन्कूल नहीं थे। इसे 22 मार्च, 1943 को प्रतिवादी को सूचित किया गया था। निदेशकों की इस कार्रवाई को 29 सितंबर, 1943 को मिल्स के शेयरधारकों की एक बैठक में अनुमोदित किया गया था, और एसोसिएशन के लेखों में फिर से आवश्यक संशोधन किए गए थे। बीच में 17 अप्रैल, 1943 को, प्रतिवादी ने यह घोषणा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया था कि म्थप्पा एंड कंपनी मिल्स के प्रबंध एजेंट बने रहेंगे और स्वयं के लिए या अपीलकर्ता के साथ-साथ प्रबंध एजेंटों के कार्यालय का कब्ज़ा प्राप्त करने के लिए भी मुकदमा दायर किया था। मिलों को किसी अन्य प्रबंध एजेंट को नियुक्त करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए। इस म्कदमे को ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह धारा के तहत चलने योग्य नहीं था। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 69, 1932 की संख्या IX (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा), हालांकि ट्रायल कोर्ट ने अन्य मुद्दों पर भी निष्कर्ष दिए। प्रतिवादी उस मुकदमे में डिक्री के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में अपील करने गया। यह अपील 8 जुलाई, 1948 को खारिज कर दी गई, क्योंकि उच्च न्यायालय ने माना कि अधीनस्थ न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि मुकदमा धारा के तहत चलने योग्य नहीं था। अधिनियम की धारा 69 सही थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसा था अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए अन्य निष्कर्षों की सत्यता या अन्यथा पर कोई राय व्यक्त नहीं करना। जबकि यह अपील लंबित थी, प्रतिवादी ने 28 फरवरी, 1946 को वर्तमान म्कदमा दायर किया। इस मुकदमे में उन्होंने फर्म मुथप्पा एंड कंपनी को भंग करने, अपीलकर्ता और मिल्स के खिलाफ खातों और क्षति के लिए प्रार्थना की। मुकदमें में प्रतिवादी का मुख्य तर्क यह था कि अपीलकर्ता द्वारा साझेदारी का कथित विघटन और म्थप्पा को हटाना मिल्स की प्रबंध एजेंसी की ओर से एंड कंपनी अपीलकर्ता दवारा सोची गई धोखाधड़ी की एक योजना का हिस्सा थी, जिसे प्रतिवादी को हराने और धोखा देने के लिए उसके वैध बकाया और उसके जारी रखने और कार्य करने के अधिकार को धोखा देने के लिए मिलों द्वारा सक्रिय रूप से मिलीभगत की गई थी। 'मिल्स के प्रबंध एजेंट' के रूप में। दावा किया गया नुकसान का अनुमान अपीलकर्ता और मिल दोनों से या उनमें से किसी एक से पांच लाख रुपये की वसूली की जानी थी। विकल्प में प्रतिवादी ने दावा किया कि भले ही मुथप्पा एंड कंपनी को 29 सितंबर, 1943 को प्रबंध एजेंसी से वैध रूप से हटा दिया गया था, वह 15 नवंबर, 1939 से 29 सितंबर, 1943 तक अपीलकर्ता से हिसाब पाने का हकदार था। अपीलकर्ता और मिल्स दोनों ने विरोध किया

और उनका मामला यह था कि साझेदारी इच्छानुसार थीं और इसलिए 'अपीलकर्ता द्वारा नोटिस द्वारा वैध रूप से समाप्त कर दी गई थीं। आगे यह तर्क दिया गया कि किसी भी मामले में मिल्स मुथप्पा एंड कंपनी की प्रबंधन एजेंसी को समाप्त करने के अपने अधिकार में थे, क्योंकि उस फर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया था और भागीदारों के बीच अंतहीन विवाद थे। धोखाधड़ी और मिलीभगत से इनकार किया गया और यह आरोप लगाया गया कि यह प्रतिवादी का आचरण था जिसने अपीलकर्ता को साझेदारी समाप्त करने का नोटिस देने और मिल्स को प्रबंध एजेंसी को समाप्त करने के लिए मजबूर किया। मिल्स ने एक और दलील दी, अर्थात, जहां तक उनका संबंध है, मुकदमे को धारा 69 के तहत वर्जित किया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने माना कि मुथप्पा एंड कंपनी की फर्म अपनी इच्छानुसार साझेदारी के रूप में थी और इसिलए 4 मार्च, 1943 को नोटिस देकर अपीलकर्ता द्वारा कानूनी रूप से इसे भंग कर दिया गया था। इसने आगे कहा कि धोखाधड़ी का कोई मामला साबित नहीं हुआ था और इसकी समाप्ति प्रबंध एजेंसी कानूनी थी। जहां तक मिल्स का सवाल है तो ट्रायल कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ मुकदमा धारा के तहत वर्जित है। अधिनियम के 69. परिणामस्वरूप मिल्स के विरुद्ध मुकदमा पूरी तरह ख़ारिज कर दिया गया और हर्जाने की प्रार्थना भी ख़ारिज कर दी गई। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को साझेदारी व्यवसाय की शुरुआत से

4 मार्च, 1943 तक अर्जित लाभ का हिसाब देने का निर्देश दिया, जब अपीलकर्ता ने नोटिस द्वारा साझेदारी समाप्त कर दी थी।

इसके बाद प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने माना कि मिल्स के खिलाफ मुकदमा धारा के तहत वर्जित था। अधिनियम के 69 में, हालांकि यह स्पष्ट किया गया था कि यदि मिल्स के कब्जे में साझेदारी फर्म की संपत्ति थी तो प्रतिवादी उन्हें प्नप्रीप्त करने का हकदार होगा। हालाँकि उच्च न्यायालय ने मिलों को इस आधार पर दोनों अदालतों में अपनी लागत स्वयं वहन करने का आदेश दिया कि मिलें धोखाधड़ी की दोषी थीं। अपीलकर्ता के खिलाफ मामले के संबंध में, उच्च न्यायालय ने माना कि साझेदारी थी। यह इच्छान्सार साझेदारी नहीं है और इसलिए इसे अपीलकर्ता दवारा नोटिस दवारा भंग नहीं किया जा सकता है। आगे यह माना गया कि अपीलकर्ता ने धोखाधड़ी से और मिल्स के साथ मिलीभगत करके एक अवैध नोटिस जारी करके साझेदारी को भंग करने और मिलों द्वारा प्रबंध एजेंसी को समाप्त करने का आरोप लगाया, और परिणामस्वरूप प्रबंध एजेंसी की समाप्ति अवैध थी। इसलिए इस विचार पर कि साझेदारी के साथ-साथ प्रबंध एजेंसी भी जारी रही और परिस्थितियों की समीक्षा पर, उच्च न्यायालय ने माना कि यह साझेदारी को समाप्त करने के लिए एक उपयुक्त मामला था और 10 मार्च, 1949 तय की गई, जो कि तारीख थी ट्रायल कोर्ट की डिक्री वह तारीख होगी

जिससे साझेदारी समाप्त हो जाएगी। नतीजतन, इसने ट्रायल कोर्ट के फैसले को संशोधित किया और 15 नवंबर, 1939 से 10 मार्च, 1949 तक फर्म मुथप्पा एंड कंपनी के संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ खातों के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित की। मिलों के हाथों में साझेदारी परिसंपत्तियों, यदि कोई हो, के विरुद्ध हिसाब लेने पर उसे देय राशि मिली। अपीलकर्ता ने इस न्यायालय में अपील करने के लिए एक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था जो प्रदान कर दिया गया था; और इस तरह ये मामला हमारे सामने आया है. इसलिए हमारे निर्धारण के लिए पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या इस मामले में साझेदारी इच्छानुसार साझेदारी है और इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए साझेदारी समझौते की शर्तों का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसे पढ़ने के बाद प्रबंधन ने. मिल्स को मुथप्पा एंड कंपनी के नाम और शैली में और राजेंद्र मिल्स लिमिटेड को सलेम बालास्ब्रमण्यम एंड कंपनी लिमिटेड के नाम और शैली में चलाया जा रहा था, साझेदारी समझौते में कहा गया है कि भागीदारों को समान शेयरों में वेतन मिलेगा। कमीशन, लाभ, आदि, जो उपरोक्त प्रबंध एजेंसियों से प्राप्त किया जा सकता है। यह चार वर्षों में एक बार रोटेशन में प्रबंधन करने का प्रावधान करता है, पहले चार वर्षों के लिए अपीलकर्ता को प्रबंधन करने के लिए और उसके बाद प्रतिवादी को अगले चार वर्षों के लिए प्रबंधन करने के लिए और उसके बाद उसी तरह से प्रबंधन करने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि भागीदार और उनके उत्तराधिकारी तथा उनके अधिकार प्राप्त

करने वाले लोग बारी-बारी से प्रबंधन करते रहेंगे। दोनों मिलों के वार्षिक खाते बंद होने के बाद प्रत्येक वर्ष में एक बार खाते बनाए जाने थे। तब उधार लेने के प्रावधान थे जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। समझौते में आगे प्रावधान है कि यदि कोई भी भागीदार समझौते के तहत प्रबंधन के अपने अधिकार को छोड़ने के बारे में सोचता है तो इसे केवल दूसरे भागीदार को सौंप दिया जाएगा, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित या बेचा नहीं जाएगा। अंत में यह प्रावधान किया गया है कि दोनों साझेदार चार साल में एक बार बारी-बारी से फर्म के मामलों को आगे बढ़ाएंगे और इससे प्राप्त आय को साल-दर-साल विभाजित किया जाएगा और साझेदारों और उनके उत्तराधिकारियों को बराबर शेयरों में समान मिलेगा और इस प्रकार आगे बढ़ेंगे साझेदारी प्रबंधन पर।

अपीलकर्ता की ओर से तर्क यह है कि चूंकि यह साझेदारी धारा के अंतर्गत नहीं आती है। अधिनियम के 8 और धारा के तहत दो अपवादों के अंतर्गत नहीं है। अन्तर्गत धारा 7, यह इच्छानुसार साझेदारी है। धारा 7 में प्रावधान है कि जहां साझेदारों के बीच साझेदारी की अवधि के लिए या साझेदारी के निर्धारण के लिए अनुबंध द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, साझेदारी इच्छानुसार साझेदारी है। धारा 8 में प्रावधान है कि एक व्यक्ति विशेष साहिसक कार्यों या उपक्रमों में किसी अन्य व्यक्ति के साथ भागीदार बन सकता है। धारा 43 में यह प्रावधान है कि जहां साझेदारी

इच्छानुसार है, वहां किसी भी साझेदार द्वारा फर्म को भंग करने के अपने इरादे के बारे में अन्य सभी साझेदारों को लिखित रूप में नोटिस देकर फर्म को भंग किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि साझेदारी इच्छानुसार नहीं है, तो धारा 42 लागू होता है और इन शर्तों में है:-

"साझेदारों के बीच अनुबंध के अधीन एक फर्म भंग हो जाती है-

- (ए) यदि एक निश्चित अवधि के लिए गठित किया गया है, तो उस अवधि की समाप्ति तक;
- (बी) यदि एक या अधिक साहसिक कार्यों या उपक्रमों को पूरा करने के लिए गठित किया गया है, तो उसके पूरा होने तक;
- (सी) किसी साथी की मृत्यु से; और
- (डी) किसी भागीदार को दिवालिया घोषित किए जाने से।

"धारा 44 न्यायालय द्वारा विघटन का प्रावधान करती है। उच्च न्यायालय का विचार था कि साझेदारी की शर्तों को देखते हुए इसे इच्छानुसार साझेदारी नहीं माना जा सकता है और वह अन्तर्गत धारा 7 के तहत यह एक साझेदारी का मामला होगा जिसकी अविध और निर्धारण भी तय किया गया था। उच्च न्यायालय का यह भी मानना था कि धारा 8 प्रश्नगत साझेदारी पर भी लागू होगी क्योंकि साक्ष्य से पता चलता है कि साझेदारों ने दो मिलों

की प्रबंध एजेंसी के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी में प्रवेश किया था और ऐसा व्यवसाय एक उपक्रम था, जैसा कि हमने पढ़ा है समझौते की शर्तों से हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इरादा इच्छान्सार साझेदारी बनाने का नहीं हो सकता। साझेदारों ने विचार किया कि प्रबंधन चार वार्षिक अवधियों में उनके बीच रोटेशन में किया जाएगा। यह भी विचार किया गया कि साझेदारों के उत्तराधिकारी भी बारी-बारी से प्रबंधन संभालेंगे। इस प्रावधान के साथ-साथ साझेदारी के व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते ह्ए यह विचार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी साझेदार द्वारा नोटिस देकर साझेदारी को समाप्त किया जा सकता है। जाहिर तौर पर इरादा कुछ अवधि की साझेदारी करने का था, हालांकि समझौते में अवधि स्पष्ट रूप से तय नहीं की गई थी। अब धारा 7 इच्छानुसार साझेदारी के दो अपवादों पर विचार करता है।

पहला अपवाद वह है जहां साझेदारी की अवधि के लिए अनुबंध में प्रावधान है; दूसरा अपवाद वह है जहां साझेदारी के निर्धारण का प्रावधान है। इनमें से किसी भी मामले में साझेदारी इच्छानुसार नहीं है। साझेदारी की अवधि अनुबंध में स्पष्ट रूप से प्रदान की जा सकती है; लेकिन जहां कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां भी अदालतों ने माना है कि यदि अविध निहित हो सकती है तो साझेदारी इच्छानुसार नहीं होगी। हेल्सबरी के इंग्लैंड के नियम, तीसरा संस्करण, खंड देखें। 28, पृ. 502, पैरा. 964, जहां यह कहा गया है कि जहां एक निश्चित अविध के लिए साझेदारी जारी रखने के लिए कोई स्पष्ट समझौता नहीं है, वहां ऐसा करने के लिए एक निहित समझौता हो सकता है। क्रॉशाय बनाम माउले (1) में इन शब्दों में वही सिद्धांत निर्धारित किया गया था, पेज संख्या 483:-

"साझेदारी के सामान्य नियम अच्छी तरह से तय किए गए हैं। जहां इसकी अविध के लिए कोई शर्त स्पष्ट रूप से सीमित नहीं है, और इसे ठीक करने के लिए अनुबंध में कुछ भी नहीं है, साझेदारी को किसी भी पक्ष द्वारा एक पल के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है...... बिना किसी संदेह के, व्यक्त के अभाव में, साझेदारी की अविध के संबंध में एक निहित अनुबंध हो सकता है।"

हमारी राय में यही सिद्धांत निर्धारण के मामले पर भी लागू होता है। अनुबंध में स्पष्ट रूप से यह शामिल हो सकता है कि साझेदारी कुछ परिस्थितियों में निर्धारित की जाएगी; लेकिन भले ही ऐसी कोई स्पष्ट शर्त न हो, साझेदारी कब निर्धारित होगी

इसका एक निहित नियम अन्बंध में पाया जा सकता है। इसलिए हमें यह देखना है कि क्या वर्तमान मामले में साझेदारी के अन्बंध से यह अनुमान लगाना संभव है कि क्या इसकी अवधि के बारे में कोई निहित शब्द था या किसी भी दर पर एक निहित शब्द है कि यह कब निर्धारित होगा। साझेदारी के अनुबंध की शर्तों से यह स्पष्ट है कि इसे एजेंसी व्यवसाय के प्रबंधन के उद्देश्य से दर्ज किया गया था। इसके अलावा वास्तविक प्रबंधन में दो साझेदारों के टर्न से संबंधित शर्तें और आगे की अवधि कि ये टर्न उनके उत्तराधिकारियों के मामले में भी जारी रहेंगे, हमारी राय में यह स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि साझेदारी की अवधि उसी की अवधि के समान होगी। प्रबंध एजेंसी. हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि इसका मतलब यह है कि साझेदारी (1) [1818] 36 ईआर 479. 483। स्थायी हो जाएगा. किसी भी मामले में भले ही इस बारे में कुछ संदेह हो कि क्या इस अनुबंध की शर्तों में साझेदारी की कोई अवधि निहित है, हमारी राय में इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जब प्रबंध एजेंसी समझौता होता है तो शर्तें साझेदारी के निर्धारण का संकेत देती हैं। अंत में यह स्पष्ट है कि साझेदारी प्रबंध एजेंसी को चलाने के एकमात्र व्यवसाय के लिए थी और इसलिए आवश्यक निहितार्थ से यह मानना चाहिये कि साझेदारी तब निर्धारित करेगी जब

प्रबंध एजेंसी निर्धारित करेगी। इसलिए इस मामले में अनुबंध की शर्तों पर, भले ही क्छ संदेह हो कि क्या कोई अवधि निहित है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस अन्बंध का तात्पर्य है कि साझेदारी यह निर्धारित करेगी कि प्रबंध एजेंसी कब समाप्त होगी। इस दृष्टि से साझेदारी जैसी इच्छान्सार साझेदारी नहीं होगी। अधिनियम का 7 यह स्पष्ट करता है कि एक साझेदारी जिसमें इसके निर्धारण के लिए एक शर्त होती है वह इच्छान्सार साझेदारी नहीं है। इस संबंध में हमारा ध्यान अनुबंध की एक शर्त की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें कहा गया है कि कोई भी भागीदार, भागीदार से अलग हो सकता है, भागीदारी के प्रबंधन का अधिकार दूसरे साझेदार को सौंपकर। हालाँकि, यह साझेदारी को इच्छानुसार साझेदारी नहीं बनाता है, क्योंकि इच्छानुसार साझेदारी का सार यह है कि कोई भी भागीदार नोटिस देकर साझेदारी को समाप्त करने के लिए खुला है। एक भागीदार के हित को दूसरे के पक्ष में त्यागना, जो इस अन्बंध में प्रदान किया गया है, एक बह्त अलग मामला है। यह सच है कि इस विशेष मामले में केवल दो भागीदार थे और जैसे ही एक भागीदार दूसरे के पक्ष में अपना अधिकार छोड़ देगा, साझेदारी समाप्त हो जाएगी। हालाँकि यह एक आकस्मिक परिस्थिति है; क्योंकि, यदि (उदाहरण के लिए) इस मामले में चार भागीदार थे

और उनमें से एक ने अन्य भागीदारों के पक्ष में अपना अधिकार छोड़ दिया, तो साझेदारी समाप्त नहीं होगी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किसी साझेदार के हित को दूसरे के पक्ष में त्यागने से साझेदारी इच्छान्सार नहीं हो जाएगी। इस संबंध में हम एबट बनाम एबट (1) (1) [1936] 3 सभी ईआर 825 का संदर्भ ले सकते हैं। यह एक ऐसा मामला था जहां दो से अधिक भागीदार थे बशर्ते कि किसी भागीदार की सेवानिवृत्ति से साझेदारी समाप्त नहीं होगी और सेवानिवृत्त भागीदार के हिस्से को अन्य भागीदारों द्वारा खरीदने का विकल्प होगा। यह माना गया कि इन परिस्थितियों में साझेदारी इच्छानुसार नहीं थी और यह बताया गया कि जब एक को छोड़कर सभी साझेदार सेवानिवृत्त हो जायेंगे तभी साझेदारी समाप्त होगी क्योंकि केवल एक साझेदार के साथ साझेदारी नहीं हो सकती। इसलिए, हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि इस मामले में अनुबंध में एक साझेदारी का ख्लासा किया गया है जिसका निर्धारण निहित है, अर्थात्, प्रबंधन एजेंसी की समाप्ति और, इसलिए, एस के तहत। अधिनियम की धारा 7 में यह इच्छानुसार साझेदारी नहीं है।ऐसी स्थिति में यह विचार करना अनावश्यक है कि क्या मामला भी इस धारा के अंतर्गत आएगा। अधिनियम की धारा 8 मे अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रबंध एजेंसी को कानूनी रूप से समाप्त कर

दिया गया है; यदि ऐसा है तो साझेदारी भी निर्धारित की जाएगी। यह हमें साझेदारी के अस्तित्व में आने के बाद भागीदारों के बीच संबंधों के इतिहास में ले जाता है। ऐसा लगता है कि 1941 में किसी समय राजेंद्र मिल्स लिमिटेड, जो प्रबंध एजेंसी व्यवसाय में शामिल मिलों में से एक थी, के संबंध में भागीदारों के बीच विवाद उत्पन्न हुए थे। प्रतिवादी ने 4 मार्च, 1942 को प्रबंध एजेंसी कंपनी में शेयरों के आवंटन के संबंध में अपीलकर्ता और सलेम बालास्ब्रमण्यम एंड कंपनी लिमिटेड के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। 11 मार्च, 1942 को प्रतिवादी ने एक और म्कदमा दायर किया, इस बार डिबेंचर के आधार पर जो उन्होंने मिल्स के खिलाफ रखा है, डिबेंचर राशि के संबंध में मिल्स के खिलाफ डिक्री की प्रार्थना करते हुए, 17 जून, 1942 को, प्रतिवादी ने एक घोषणा के लिए राजेंद्र मिल्स लिमिटेड के संबंध में तीसरा मुकदमा दायर किया कि प्रतिवादी 'राजेंद्र मिल्स लिमिटेड की प्रबंध एजेंसी में आधी हिस्सेदारी का मालिक एक भागीदार था' उसी दिन प्रतिवादी ने प्रबंध एजेंसी कंपनी दवारा की गई कुछ कार्रवाइयों के संबंध में अपीलकर्ता, उसके बेटे और सलेम बालास्ब्रमण्यम एंड कंपनी लिमिटेड के खिलाफ चौथा मुकदमा दायर किया। 15 जुलाई, 1942 को, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी और राजेंद्र मिल्स लिमिटेड से संबंधित प्रबंध एजेंसी कंपनी के खिलाफ यह घोषणा करने के लिए कि प्रतिवादी की प्रबंध एजेंसी कंपनी में कोई रुचि नहीं है और आगे की राहत के लिए एक जवाबी म्कदमा दायर किया। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1942 में साझेदारों के बीच संबंध बह्त तनावपूर्ण थे। प्रतिवादी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि 1941 के अंत से उसके और अपीलकर्ता के बीच दुश्मनी थी और उनके बीच महत्वपूर्ण मतभेद थे और म्कदमा चल रहा था। हालांकि, उन्होंने कहा कि द्श्मनी के बावजूद वह अपीलकर्ता के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, यदि उनके साथ धोखाधड़ी की गई राशि का हिसाब-किताब के आधार पर भ्गतान किया जाए। जहां तक राजेन्द्र मिल्स लिमिटेड के संबंध में म्कदमेबाजी का सवाल है, प्रतिवादी हार गया और यह माना गया कि वह उस मिल के संबंध में प्रबंध एजेंसी कंपनी की साझेदारी से हट गया था। जहाँ तक डिबेंचर पर मुक़दमें का सवाल है, पैसा अदालत में जमा किया गया था और विवाद केवल लागत के बारे में था। वह मामला उच्च न्यायालय तक भी गया और अंततः उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को लागत की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

साझेदारों के बीच इस तनावपूर्ण माहौल में अपीलकर्ता ने 4 मार्च, 1943 को मिल्स के संबंध में साझेदारी को इच्छानुसार साझेदारी मानते ह्ए समाप्त करने का नोटिस दिया। हालाँकि, हमने माना है कि साझेदारी इच्छान्सार साझेदारी नहीं थी और अपीलकर्ता द्वारा दिया गया नोटिस इसे कानूनी रूप से समाप्त नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या मिल्स की प्रबंध एजेंसी को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया था; यदि ऐसा होता तो साझेदारी भी उसी दिन समाप्त हो जाती जिस दिन हमने ऊपर जो कहा है उसे ध्यान में रखते ह्ए प्रबंध एजेंसी को समाप्त कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में परिस्थितियों की जांच की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलकर्ता ने मिल्स के साथ धोखाधड़ी और मिलीभगत करके प्रबंध एजेंसी को समाप्त कर दिया और इसलिए, प्रबंध एजेंसी की समाप्ति अवैध थी। हम हाई कोर्ट के इस विचार से सहमत नहीं हो पा रहे हैं. इसलिए, उन परिस्थितियों की जांच करना आवश्यक है जिनमें समाप्ति हुई। अपीलकर्ता ने 4 मार्च, 1943 को मिल्स को भी साझेदारी समाप्त करने के अपने नोटिस की एक प्रति भेजी। प्रतिवादी ने इस नोटिस का जवाब भेजा जिसमें उसने दावा किया कि साझेदारी इच्छान्सार नहीं थी और अपीलकर्ता इसे समाप्त करने का हकदार नहीं था, और इस उत्तर की एक प्रति 16 मार्च, 1943 को मिल्स को भी भेजी गई थी। 22 मार्च, 1943 को मिल्स के निदेशकों ने एक बैठक की। उस बैठक में निदेशकों ने निर्णय लिया कि चूंकि मुथप्पा एंड कंपनी के

साझेदार एक-दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे और मुकदमेबाजी में उलझे हुए थे और उनके बीच कई मुकदमे चल रहे थे और उनके मतभेदों के कारण मिल्स का काम प्रभावित हो रहा था, न्कसान होने की संभावना थी और इसलिए भी कि म्थप्पा एंड कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया था और उसने प्रबंधन का अधिकार खो दिया था और अब वह मिलों का प्रबंधन करने की स्थिति में नहीं थी, अन्य प्रबंध एजेंटों को नियुक्त करना आवश्यक हो गया था। इस प्रकार इस प्रस्ताव द्वारा म्थप्पा एंड कंपनी की प्रबंध एजेंसी को दो कारणों से समाप्त कर दिया गया: (1) प्रबंध एजेंसी कंपनी के भागीदारों के बीच मतभेद थे और मिल्स का काम प्रभावित हो रहा था और प्रभावित होने की संभावना थी, और (2) म्थप्पा एंड कंपनी का अंत हो गया था और इसलिए, उसने प्रबंधन का अधिकार खो दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रस्ताव के पारित होने से पहले अपीलकर्ता बाजार में मिल्स के शेयर खरीद रहा था और उसने उसमें एक नियंत्रित हित हासिल कर लिया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सोचा कि मिल्स के निदेशकों के इस प्रस्ताव के पीछे अपीलकर्ता का छिपा ह्आ हाथ दिखाई दे रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि अपीलकर्ता के बेटे को मिल्स के संपूर्ण मामलों को प्रशासित करने के लिए उसी प्रस्ताव द्वारा नामित किया गया था। उपयुक्त प्रबंध एजेंटों की नियुक्ति होने तक निदेशक मंडल का नियंत्रण और निर्देशन। 29 सितंबर,

1943 को शेयरधारकों की एक आम बैठक में निदेशक मंडल की इस कार्रवाई की पुष्टि की गई।

उच्च न्यायालय ने सोचा कि चूंकि अपीलकर्ता ने मिल्स में एक नियंत्रित हित हासिल कर लिया था, इसलिए वह 22 मार्च 1943 के निदेशकों के प्रस्ताव और 29 सितंबर 1943 के शेयरधारकों की आम बैठक के प्रस्ताव के पीछे था। ऐसा हो सकता है कि अपीलकर्ता ने मिलों में एक नियंत्रित हित हासिल कर लिया था और उसका प्रस्तावों के साथ अच्छा संबंध था; लेकिन हमारी राय में यह आवश्यक नहीं है कि उसका आचरण धोखाधड़ीपूर्ण हो और प्रबंध एजेंसी अनुबंध की समाप्ति अवैध हो। इसमें कोई विवाद नहीं है कि साझेदारों के बीच कोई समझौता नहीं था कि उनमें से कोई भी खुले बाजार में मिल्स के शेयर नहीं खरीदेगा। इसलिए हमें अपीलकर्ता के आचरण में क्छ भी अन्चित नहीं दिखता जब उसने ख्ले बाजार में मिल्स के शेयर खरीदे और उसमें नियंत्रित हित हासिल करने में कामयाब रहा। अपीलकर्ता की स्पष्ट रूप से दो क्षमताएं थीं: एक क्षमता में वह प्रबंध एजेंसी व्यवसाय में प्रतिवादी का भागीदार था, दूसरी क्षमता में वह मिल्स का एक बड़ा शेयरधारक था और ऐसे शेयरधारक के रूप में यह निश्चित रूप से यह देखने में उसकी रुचि थी कि मिलों को न्कसान नहीं ह्आ। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या मिलों द्वारा दोनों प्रस्तावों द्वारा की गई कार्रवाई ऐसी है जैसी किसी भी विवेकशील कंपनी द्वारा उस

स्थिति का सामना करने पर की जाएगी जिसका मिलों को वर्तमान मामले में सामना करना पड़ा था। हमारी राय में इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी भी कंपनी को जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसमें मिल्स इस मामले में थी, और उसे पता चलता है कि उसकी प्रबंधन एजेंसी फर्म के दो साझेदार पूरी ताकत से लड़ रहे थे और उनके बीच कोई प्यार नहीं था और यह भी पाते ह्ए कि प्रबंध एजेंसी के दो साझेदारों के बीच मनमुटाव के कारण मिल्स के हितों को नुकसान हो रहा था और न्कसान होने की संभावना थी, अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य था। तथ्य यह है कि मिल्स में प्रमुख शेयरधारक भी प्रबंध एजेंसी में भागीदार था, उसे एक प्रमुख शेयरधारक के रूप में मिल्स के हित में कार्य करने से वंचित नहीं किया जाएगा। इस संबंध में हम मोरारजी गोकुलदास एंड कंपनी बनाम शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड और अन्य 1944 एआईआर पीसी 17 का संदर्भ ले सकते हैं। उस मामले में यह सवाल उठा कि क्या कदाचार के आधार पर प्रबंध एजेंसी समझौते को समाप्त करना अवैध था। उस मामले में यह पाया गया कि प्रबंध एजेंसी फर्म के साझेदारों के बीच इस प्रकृति और अवधि के झगड़े थे, जिससे प्रबंध एजेंटों के रूप में कंपनी के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की उनकी क्षमता गंभीर रूप से क्षीण हो गई और कंपनी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह माना गया कि

"प्रत्येक मामले में सवाल यह होना चाहिए कि क्या साबित हुआ या उचित रूप से पकड़ा गया कदाचार, नियोक्ता के व्यवसाय पर या नियोक्ता के व्यवसाय के उस हिस्से के कर्मचारी द्वारा निर्वहन पर ऐसा सीधा असर डालता है जिसमें वह कार्यरत है, जो गंभीर रूप से प्रभावित करता है या नियोक्ता के व्यवसाय या कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के प्रति अपने कर्तव्य के कुशल निर्वहन को गंभीर रूप से प्रभावित करने की धमकी देना।"

यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ऐसा है, तो प्रबंध एजेंसी की समाप्ति उचित होगी। वर्तमान मामले में इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रबंध एजेंसी फर्म के दो भागीदारों के बीच झगड़े इतने गंभीर और इतनी अविध के थे कि प्रबंध एजेंटों के रूप में मिलों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की उनकी क्षमता ख़राब हो गई और उनके हितों पर असर पड़ा। मिलें पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। इसलिए, यदि मिल्स के निदेशक उस निष्कर्ष पर पहुंचे तो हमारी राय में यह कहना सही नहीं होगा कि निष्कर्ष धोखाधड़ी से पहुंचा गया था, सिर्फ इसलिए कि एक प्रमुख शेयरधारक अपीलकर्ता था। इस संबंध में हम अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त बनाम सैनसोम [1921] 2 केबी 492, 514. में यंगर एलजे की टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं: -

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी कंपनियों में, किसी भी अन्य प्रकार के संघ की तरह, ब्लैकशीप हैं; लेकिन मेरे फैसले में निंदा की ऐसी शर्तें जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, उनमें से और उनके निदेशकों के लिए सख्ती से आरक्षित होनी चाहिए जो निंदा के पात्र हैं, और मैं इस बात से काफी संतुष्ट हूं कि ऐसे शब्दों के अंधाधुंध उपयोग से, अक्सर नहीं, ऐसे परिणाम सामने आए हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायपूर्ण थे, और मेरे फैसले में यह उनके उपयोग का कोई मामला नहीं है।"

हमारी राय में ये टिप्पणियाँ वर्तमान संदर्भ में सटीक हैं। यह सच है कि अपीलकर्ता का दो प्रस्तावों में एक प्रमुख शेयरधारक के रूप में हाथ था और यह कभी छिपा नहीं था; लेकिन यह भी उतना ही सच है कि तत्कालीन परिस्थितियों में किसी भी मौजूदा विवेकपूर्ण निदेशक मंडल और किसी कंपनी में रुचि रखने वाले शेयरधारकों का कोई भी निकाय उसी तरीके से कार्य करेगा जिसमें निदेशक मंडल और मिल्स के शेयरधारक वर्तमान मामले में कार्रवाई की. इसलिए हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हो सकते हैं कि यह एक ऐसा मामला है जहां निदेशक मंडल और

शेयरधारकों ने अपीलकर्ता के साथ मिलकर धोखाधड़ी की है, क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते हैं कि मिल्स के एक प्रमुख शेयरधारक के रूप में अपीलकर्ता वैध रूप से उनकी रक्षा के लिए कार्य कर सकता है और जो कार्रवाई की गई वह वैसी ही थी जैसी कोई भी निदेशक मंडल और शेयरधारकों का कोई निकाय प्रामाणिक रूप से करेगा। इन परिस्थितियों में हमारी राय है कि शेयरधारकों की आम बैठक द्वारा प्ष्टि की गई प्रबंध एजेंसी समझौते को समाप्त करने वाले निदेशक मंडल के प्रस्ताव ने मिल्स और म्थप्पा एंड कंपनी के बीच प्रबंध एजेंसी को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया है। यह सच है कि इन प्रस्तावों में समाप्ति के लिए एक दूसरा कारण दिया गया था, अर्थात, म्थप्पा एंड कंपनी 4 मार्च के नोटिस के कारण समाप्त हो गई थी। वह कानूनी स्थिति हमारे विचार में गलत है; लेकिन इसके अलावा जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उसमें मिल्स के पास प्रबंध एजेंसी को समाप्त करने के पर्याप्त कारण थे।

अगला सवाल यह उठता है कि प्रबंध एजेंसी को कब समाप्त किया गया कहा जा सकता है, यानी, 22 मार्च, 1943 को, या 29 सितंबर, 1943 को। अब भारतीय कंपनियों की धारा 87- बी (एफ) के तहत 1913 का अधिनियम, संख्या VII, जो तब लागू था, एक प्रबंध एजेंट की निय्क्ति, एक प्रबंध एजेंट को हटाना और एक प्रबंध एजेंट के प्रबंधन अन्बंध में कोई भी बदलाव तब तक वैध होगा जब तक कि कंपनी द्वारा एक संकल्प द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। कंपनी की एक सामान्य बैठक. यह प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक प्रबंध एजेंट को निदेशक मंडल द्वारा निय्क्त और हटाया जा सकता है, हालांकि ऐसी नियुक्ति और निष्कासन कंपनी की सामान्य बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा कंपनी के अन्मोदन के अधीन है। हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि जब कंपनी अपनी आम बैठक में किसी नियुक्ति या निष्कासन को मंजूरी देती है, तो अन्मोदन निदेशक मंडल द्वारा निय्क्ति या निष्कासन की तारीख से प्रभावी होता है। इस दृष्टिकोण पर, जब इस मामले में आम बैठक ने निदेशक मंडल की कार्रवाई को मंजूरी दे दी, तो निष्कासन वैध हो गया और 22 मार्च, 1943 से प्रभावी हो गया।

इसलिए, इस मामले में प्रबंध एजेंसी समझौता 22 मार्च, 1943 को वैध रूप से समाप्त कर दिया गया था। जैसा कि हमने पहले ही माना है कि साझेदारी के अनुबंध में एक निहित शर्त थी कि यह निर्धारित करेगा कि मिल्स के साथ प्रबंध एजेंसी का समझौता कब समाप्त होगा, साझेदारी वर्तमान मामले में अनुबंध के तहत 22 मार्च, 1943 को निर्धारित माना जाना चाहिए। इसलिए, प्रतिवादी केवल 15 नवंबर, 1939 से 22 मार्च, 1943 तक खाते का हकदार होगा।

हालाँकि, विद्वान अटॉर्नी-जनरल का अधिनियम की धारा 9, 10 और 13(एफ) के संदर्भ में तर्क यह था कि अपीलकर्ता को 22 मार्च, 1943 के बाद भी, प्रबंध एजेंसी व्यवसाय से उसके द्वारा किए गए सभी मुनाफे का हिसाब देना होगा। अंडर 10 प्रत्येक भागीदार को व्यवसाय के संचालन में उसकी धोखाधड़ी के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए फर्म को क्षतिपूर्ति करनी होगी फर्म के और एस के तहत. 13(एफ) एक साझेदार को फर्म के व्यवसाय के संचालन में उसकी जानबूझकर की गई उपेक्षा के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए फर्म को क्षतिपूर्ति करनी होगी। पहली बात तो यह कि प्रतिवादी की ओर से वादपत्र में ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया था; दूसरे स्थान पर

हमारी राय यह है कि धारा 10 और 13(एफ) का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अन्प्रयोग नहीं है। इसलिए हम इस तर्क को अस्वीकार करते हैं। इससे लागत का प्रश्न छूट जाता है। जहां तक सरोजा मिल्स लिमिटेड का सवाल है, हमारी राय है कि वे प्रतिवादी से अपनी पूरी लागत पाने के हकदार हैं क्योंकि प्रबंधन एजेंसी को समाप्त करने की उनकी कार्रवाई को हमने कानूनी और वैध माना है। त्यागराजन चेट्टियार के संबंध में हमारी राय है कि इस मामले की परिस्थितियों में, अधीनस्थ न्यायाधीश का आदेश कि म्थप्पा चेट्टियार (प्रतिवादी) और त्यागराजन चेट्टियार (अपीलकर्ता) को अपनी लागत स्वयं वहन करनी चाहिए, उचित है और हम उन्हें अपनी लागत स्वयं वहन करने का आदेश देते है इसलिए हम अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और आदेश देते हैं कि 15 नवंबर, 1939 से हिसाब-किताब लिया जाएगा। त्यागराजन चेटटियार और मुथप्पा चेट्टियार के बीच 22 मार्च, 1943 तक। प्रतिवादी सरोजा मिल्स लिमिटेड की पूरी लागत का भ्गतान करेगा; लेकिन मुथप्पा चेट्टियार और त्यागराजन चेट्टियार अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे। अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंकुर गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।